तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहैक इस हुक तामील मे जारी हुए
9/3/18	वकुलाय उपस्थित। वकील अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रकरण विचाराधीन होकर निर्णित हुआ है, उसमें अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ही पक्षकार संयोजित थे। इस अपील में रामलाल के समस्त वारिशान को बतौर पक्षकार संयोजित किया गया है, जबकि उनका इस अपील से कोई सरोकार नहीं है। अतः रेस्पोड़ेन्ट संख्या 2 से 7 को अपील से पक्षकार हटाने का निवेदन किया। वकील रेस्पोडेन्ट ने निवेदन किया कि वांछित दादरसी प्रदान की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 का नाम अपील से विलोपित करने के आदेश दिये जाते है। उभयपक्ष ने आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय अपास्त कराते हुए प्रकरण को जरिये राजीनामा निस्तारित कराने का निवेदन किया। उभयपक्ष को सुना गया तथा राजीनामे में लिखी इबारत पढ कर सुनाई गई एवं तथ्यों को समझाया गया। उभयपक्ष ने राजीनामा पढ, सुन, समझ कर सही होना स्वीकार किया। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्ताओं द्वारा की गई, जिस पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। चूंकि प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो चुका है, इस कारण प्रकरण आगे चलने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा क़े आधार पर अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 262/2015 बअनवान तुलसी बनाम रामा वग़ैरा में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2017 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। यह निर्णय आज दिनांक 9.3.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली	